न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 117/2022

उनवान

1 किशनलाल पुत्र जगमोहन जाति मेहरा नि0 तिलाना, नसीराबाद हाल नि0 प्लाट नम्बर 58 डी "6 जगदम्बा नगर", हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, जयपुर

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– [illegible]

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता जगमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण को भूतपूर्वक सैनिक होने के कारण ग्राम तिलाना तह0 नसीराबाद के वर्किंग खसरा नम्बर 342 रकबा 9–7–0, 355 रकबा 1–0–0 हाल खसरा नम्बर 1782 मिन रकबा 1.62, 724 मिन रकबा 0.26 व 315 रकबा 0.16 की आराजी दिनांक 10.01.1975 को आवटित हुयी। उक्त आवंटन का इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी में भी किया गया। वादी आराजी मुतनाजा पर आवंटन दिनांक से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थी के पिता द्वारा पूर्व में भी राजस्व वाद 163/2016 पेश किया था। किन्तु प्रार्थी के पिता अत्यधिक बीमार होने के कारण पैरवी के लिये उपसिथत नही होने से वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। उक्त आराजी अन्य को आंवटित हो सकती है। अतः अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा अन्य को आवंटित नही करे। कब्जा व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
राज0 पैरोकार ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में आवंटन का अंकन बिना नामान्तकरण के हुआ है। वादी का कब्जा काश्त नही है तथ भूमि सिवायचक खातें में दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] प्रार्थी [illegible] पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by DeviLal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:38 IST
Reason: SelfAttested

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में [illegible] आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज [illegible] आराजी उनके पिता को 1975 में आवंटित हुयी थी। उक्त [illegible] जमाबंदी में सीधे ही [illegible] दिया जबकि अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिव[illegible] जरियें नामान्तकरण ही [illegible]

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जा सकता है। प्रार्थी ने आराजी मुतनाजा पर लगातार कब्जे काश्त के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। आवंटन 1975 का है जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। आवंटन आदेश की पालना भी राजस्व अभिलेख में विधिवत नही हुयी है। आराजी मुतनाजा सिवायचक है। जिस पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी का अधिकार नही बनता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2.3. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– उक्त दोनो बिन्दु एक दूसरे से सबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से सम्मिलित रूप से विचारित किये जा रहे है। न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के पिता का आवंटन 1975 का है जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। भूमि हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा सिद्व नही होता है। अप्रार्थी द्वारा भूमि को अन्यत्र आवंटित नही किया जा सकता है। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला अपने पक्ष में बनना प्रमाणित नही कर पाया है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में होना अभिकथित नही किये जा सकते है इसलिये उपरोक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थी विरूद्व निर्णित किये जाते है। चूंकि हस्तगत आवेदन में प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश :– अतः ग्राम तिलाना की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:38 IST
Reason: SelfAttested